क्रमांक 66/55/90-7 जी. एस. I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष,
आयुक्त हिसार मण्डल तथा आयुक्त रोहतक मण्डल,
आयुक्त अम्बाला मण्डल एवं आयुक्त गुड़गांव मण्डल एवं
राज्य के सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट एवं सभी जिला सत्र न्यायधीश ।

दिनांक 18-9-90

विषय : हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा अधीनस्थ सेवायें प्रवरण मण्डल के कार्यक्षेत्र से पदों को बाहर निकालने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपका ध्यान सरकार के परिपत्र क्रमांक 11718-जी-II-59, दिनांक 12-1-59 की ओर दिलाते हुये यह कहने का निदेश हुआ है कि इस पत्र में उल्लेखित व्यवस्थानुसार जब भी कोई पद हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर निकालना हो तो मुख्य सचिव द्वारा आयोग की टिप्पणी प्राप्त करके प्रस्ताव मंत्री परिषद् को पेश किया जाता है । इसी तरह की कार्यवाही हरियाणा अधीनस्थ सेवायें प्रवरण मण्डल के कार्य क्षेत्र से पद बाहर निकालने के लिये भी की जाती है । इस मामले में सरकार द्वारा आगे विचार किया गया है तथा यह अनुभव किया गया है कि ऐसा करने से कई कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं । एक तो मुख्य सचिव कार्यालय के पास सम्बन्धित मामले के सारे तथ्य उपलब्ध नहीं होते और यदि कोई अन्य सूचना या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह विभाग से बार बार प्राप्त करनी होती है जिससे ऐसे केस सिरे चढ़ाने में देरी होती है। इसके इलावा मंत्रि-परिषद के सम्मुख उठाए गए प्रश्नों के उत्तर केवल विभाग ही भली भान्ति दे सकता है । इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ही मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् को प्रस्तुत करेंगे । मुख्य सचिव को प्रस्ताव भेजने से पहले विभाग हरियाणा लोक सेवा आयोग/हरियाणा अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल की टिप्पणी अपने स्तर पर प्राप्त करेंगे तथा इस टिप्पणी का वर्णन मंत्रिपरिषद् को प्रस्तुत किये जाने वाले ज्ञापन में किया जायेगा । मंत्रिपरिषद् के निर्णय के उपरान्त अधिसूचना अधिसूचित करवाने हेतु विभाग मंत्रिपरिषद के निर्णय की प्रति एवं ज्ञापन, जो कि मंत्रिपरिषद के सम्मुख रखा गया हो, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार/सामान्य सेवाएं शाखा-I को भेजें ।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, (सामान्य प्रशासन),

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

इसकी एक प्रति सभी वित्तायुक्तों एवं प्रशासकीय सचिवों हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

हस्ता/-

अवर सचिव, (सामान्य प्रशासन),

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्तों एवं सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।